परिवाद 822/2018 योगेश कुमार विरूद्ध नेशनल फूट वियर

Witness no. .....01.....for ….....**परिवादी साक्ष्य**.....Deposition taken the.....09-10-2024.....day of ..... **बुधवार**.....Witness's apparent age ..... 69Y.....

States on affirmation .....**शपथपूर्वक**..... My name is... **.....** **योगेश गेलानी** **.....**

S/ of ..... **स्व.श्री जोधामल गेलानी** ..... occupation..... **व्यवसाय** .....

address - **पंडरी रायपुर, जिला–रायपुर छ.ग.।**

———————————————————————————————————

समय : 05.05 पी.एम. बजे से

टीप :– दिनांक 03.08.2024 को शपथपत्रीय साक्ष्य अंतर्गत धारा 145 परा.लि.अधि. के अंतर्गत पेश किया गया है। साक्षी को शपथ दिलाकर आज दिनांक 09.10.2024 को मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया। शपथपत्र में कंडिका 01 से 09 तक पेश किया गया।

मुख्यपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश भावनानी वास्ते परिवादी

10– अभियुक्त के द्वारा मुझे इंडियन बैंक, रायपुर शाखा का एक भरा हुआ चेक क्रमांक 857825 दिनांक 20.11.2017 राशि 1,00,000/– रूपये का प्रदान किया गया था, जो **प्र.पी. 01** है, जिसके अ से अ भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर अभियुक्त के खाते नंबर वर्णित है। चेक अनादरण संबंधी मेमो दिनांक 15.01.2018 **प्र.पी. 02** है। अधिवक्ता के द्वारा भेजी गई नोटिस **प्र.पी. 03** है, जिसकी पोस्टल रसीद क्रमशः **प्र.पी. 04** एवं **प्र.पी. 05** है। अभियुक्त को भेजा गया लिफाफा, जो लेने के इन्कार की टीप के साथ वापस आया, **प्र.पी. 06** एवं **प्र.पी. 07** है, जिसके अ से अ भाग पर लेने से इन्कार भाग का वर्णन है तथा ब से ब भाग पर पोस्टमेन के हस्ताक्षर एवं पोस्ट ऑफिस का सील है।

11– मेरे द्वारा वर्ष 2017–18 का बैलेंस शीट दो पन्नों में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी मूल प्रति **प्र.पी. 08** है एवं फोटो प्रति जो पूर्व में प्रकरण में संलग्न है, **प्र.पी. 08 सी** है। वर्ष 2018–19 का बैलेंस शीट दो पन्नों में प्रस्तुत किया गया है, जो **प्र.पी. 09** है, जिसकी फोटोकॉपी

प्र.पी. 09 सी है। **प्र.पी. 08** एवं **प्र.पी. 09** का मूल फोटो कॉपी से मिलान कर मूल दस्तावेज वापस किया गया।

टीप :– न्यायालयीन समय समाप्त होने के कारण साक्षी का प्रतिपरीक्षण आगामी पेशी तिथि तक के लिये स्थगित किया गया।

समयः 05.15 पी.एम. बजे तक

साक्षी को पढ कर सुनाया, समझाया गया सहीं होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही/–

(श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

सही/–

(श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर.....

<u>नोटः– परिवादी साक्षी श्री योगेश कुमार गेलानी का आज दिनांक 17.10.2024 को पुनः शपथ पर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।</u>

<u>साक्ष्य प्रारंभ समय 04:46 pm बजे–</u>

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राकेश पुरी वास्ते आरोपी</u>

12. मैं प्रापर्टी डिलिंग का काम विगत 25–30 वर्षों से कर रहा हूं । इसके अतिरिक्त मैं कोई व्यवसाय नहीं करता । मैंने विगत 15–20 वर्षों से और कोई व्यवसाय नहीं किया है । यह कहना गलत है कि, मैं विगत 15–20 वर्षों से और कोई व्यवसाय ना करना असत्य बता रहा हूं ।

13. आरोपी क्रमांक 02 शंकर लाल तलहर से मेरा परिचय उनके एक रिश्तेदार अशोक प्रिथवानी द्वारा लगभग 25 वर्ष पूर्व करवाया गया था । यह कहना सहीं है कि, आरोपी और मेरे बीच कोई रिश्तेदारी नहीं है । अशोक प्रिथवानी और मेरे बीच कोई लेन देन नहीं रहा है, स्वतः कहा कि, मैं उनके यहां किराये पर था।

प्रश्नः– प्रापर्टी डिलिंग के काम में आपको यह जानकारी होगी कि, जिस प्रापर्टी का सौदा होता है, उस सौदे के संबंध में लिखापढी व इकरारनामा किया जाता है?

उत्तरः– लेनदार देनदार के मध्य होती है, मेरे नाम से लिखापढी नहीं होती ।

14. लेनदार और देनदार के मध्य होने वाली लिखापढी में यह बातें रहती है कि, कितने में सौदा हुआ, कितने समय में रजिस्ट्री की जायेगी, कितना अमाउंट दिया एवं लिया जायेगा। यह कहना सहीं है कि, लेनदार और देनदार के बीच होने वाली लिखापढी के पहले सौदे के संबंध में तय बातों को लिखापढी या इकरारनामा में लिखा जाता है । यह कहना सहीं है कि, ऐसी लिखापढी इसलिए की जाती है क्योकि भविष्य में लिखापढी का कोई पक्षकार अपनी तय बात से मुकर ना सके । यह कहना सहीं है कि, विवाद होने पर ऐसी लिखापढी या इकरारनामा न्यायालय में पेश की जा सकती है, स्वतः कहा कि, आपसी सहमति से इकरारनामा कैंसल भी होता है ।

15. यह कहना सहीं है कि, परिवाद पत्र और शपथपत्र की कंडिका 02 में यह उल्लेखित नहीं है कि, मैंने आरोपी को कथित 1 लाख रूपये की रकम कब दी थी । यह कहना सहीं है कि, परिवाद पत्र और शपथपत्र की कंडिका में यह भी उल्लखित नहीं है कि, मैंने आरोपी को 1 लाख रूपये का नगद चेक या डिमांड ड्राफ्ट आदि किस प्रकार से दिये थे, स्वतः कहा कि, मैंने चेक दिनांक के 6 माह पहले उक्त रकम दी थी । यह कहना गलत है कि, परिवाद में उल्लेखित कथित रकम 1 लाख रूपये के अतिरिक्त मेरे द्वारा आरोपी से और कोई लेनदेन नहीं किया गया है ।

16. मेरे द्वारा आरोपी के विरूद्ध आज दिनांक तक 10 से 15 चेक अनादरण के प्रकरण पेश किये गये हैं । मैंने उक्त सभी प्रकरणों में आरोपी के साथ किये गये अलग अलग लेनदेन के संबंध में उल्लेख किया गया है । यह कहना सहीं है, कि मेरे अतिरिक्त मेरी पत्नि श्रीमती पुष्पा गेलानी, साली

श्रीमती पूनम हसीजा और मेरे साढू भाई दयाल कुमार हसीजा द्वारा भी आरोपी के विरूद्ध चेक अनादरण के मामले पेश किये गये हैं । उनके द्वारा लगभग 8–10 चेक अनादरण के मामले आरोपी के विरूद्ध पेश किये गये हैं । साली श्रीमती पूनम हसीजा और मेरे साढू भाई दयाल कुमार हसीजा द्वारा आरोपी के विरूद्ध पेश किये गये मामलों की जानकारी मुझे लगभग 3 माह पूर्व हुई है । मेरी पत्नि श्रीमती पुप्पा गेलानी द्वारा प्रस्तुत किये गये मामलों की जानकारी मुझे शुरू से है ।

17. साली श्रीमती पूनम हसीजा और मेरे साढू भाई दयाल कुमार हसीजा द्वारा आरोपी के विरूद्ध 1–1 लाख रूपये के चेक अनादरण के लगभग 8–10 प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये हैं । मेरी पत्नि पुष्पा गेलानी द्वारा आरोपी के विरूद्ध 1–2 लाख के चेक के अनादरण के 4 से 5 प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये हैं । साली श्रीमती पूनम हसीजा और मेरे साढू भाई दयाल कुमार हसीजा के द्वारा आरोपी से किये गये किसी भी लेनदेन या संव्यवहार की जानकारी मुझे 3 माह पूर्व तक नहीं थी । मेरी पत्नि श्रीमती पुष्पा गेलानी द्वारा आरोपी से किये गये लेनदेन व संव्यवहार की जानकारी मुझे आरंभ से है । यह कहना गलत है कि, साली श्रीमती पूनम हसीजा और मेरे साढू भाई दयाल कुमार हसीजा और मेरी पत्नि श्रीमती पुष्पा गेलानी द्वारा आरोपी के साथ किये गये लेनदेन व संव्यवहार के बारे में मैं झूठी गवाही दे रहा हूं ।

18. मेरे द्वारा विगत 10 से 15 वर्ष में लगभग 25 से 30 चेक अनादरण के प्रकरण अलग अलग लोगों के विरूद्ध पेश किये गये हैं । स्वतः कहा कि, उसमे से 70–75 प्रतिशत मामलों में राजीनामा हो गया है । उक्त 25 से 30 चेक अनादरण के मामलों मे 7 से 8 अलग अलग आरोपी थे । उक्त सभी चेक अनादरण के मामलों में 1 से 2 लाख रूपये के चेक अनादरण का संव्यवहार रहा है । यह कहना गलत है कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी चेक अनादरण के प्रकरण में मेरे द्वारा उन प्रकरणों के आरोपी के साथ बताये गये संव्यवहार चेक या बैंक अंतरण के माध्यम से नहीं हुए हैं तथा नगद लेनदेन बताया गया है ।

19. यह कहना सहीं है कि, मेरे द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रस्तुत एक अन्य चेक अनादरण का प्रकरण क्रमांक 3738/2018 में मेरे द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य दिया गया है । उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा अपने साक्ष्य में सच बताया गया है कुछ भी गलत या झूठ नहीं है । साक्षी को उक्त प्रकरण में दिये गये मुख्यपरीक्षण, प्रतिपरीक्षण तथा प्रदर्श अंकित दस्तावेजों की सत्यप्रति

दिखाये जाने पर साक्षी दस्तावेजों को पहचानकर स्वीकार करता है । साक्षी का मुख्यपरीक्षण, प्रतिपरीक्षण की सत्यप्रतिलिपि **प्रदर्श डी–1** है, चेक की सत्यप्रतिलिपि **प्रदर्श डी–2** है, बैंक मेमों की सत्यप्रतिलिपि **प्रदर्श डी–3**, नोटिस की सत्यप्रतिलिपि **प्रदर्श डी–4**, पोस्टल रसीद की सत्यप्रतिलिपि **प्रदर्श डी–5**, बंद लिफाफा **प्रदर्श डी–6 एवं 7** है, बैंलेसशीट की सत्यप्रतिलिपि **प्रदर्श डी–8 एवं 9** है । उक्त दस्तावेज **प्रदर्श डी–01** से **प्रदर्श डी–09** की फोटो प्रति को मूल से मिलान कर फोटोकॉपी को प्रदर्श **डी–01 सी** से **प्रदर्श डी–09 सी** अंकित किया गया ।

20. यह कहना गलत है कि, मेरे द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये सभी चेक अनादरण के मामलों में जितनी राशि के संव्यवहार का उल्लेख किया गया है, उसके अतिरिक्त और कोई लेनदेन आरोपी के साथ नहीं हुआ है । मैं आरोपी के साथ विगत 25 वर्षों से लेनदेन कर रहा हूं, स्वतः कहा कि, लेनदेन करवाता रहा हूं, मैंने आरोपी के साथ कभी लेनदेन नहीं किया है, मैंने मध्यस्थता करते हुए लेनदेन करवाया है । मैंने जिन लोगों के साथ आरोपी का लेनदेन करवाया है वे मेरे परिचित हैं परंतु मैं उनका नाम नहीं बता सकता। मेरे द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये सभी चेक अनादरण के मामलों में उल्लेखित लेनदेन व संव्यवहार मेरे परिचित व्यक्तियों द्वारा आरोपी के साथ किये गये हैं ।

21. गवाह अब कहता है कि, मैं भी आरोपी के साथ लेनदेन करता रहा हूं । मैंने जिन परिचित व्यक्तियों का लेनदेन आरोपी से होना बताया है, उन्होने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है । मैंने उन परिचित व्यक्तियों से इस बात का कारण नहीं पूछा । उक्त परिचित व्यक्तियों में से महेश बलानी द्वारा आरोपी के विरूद्ध चेक अनादरण की कार्यवाही की गई है शेष किसी भी परिचित द्वारा कार्यवाही आरोपी के विरूद्ध नही की गई है । यह कहना गलत है कि, मेरे उक्त परिचितों ने कोई कार्यवाही आरोपी के विरूद्ध इसलिए नही की है क्योंकि उनके बदले मैंने आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की है,स्वतः कहा कि, मैंने अपने व्यक्तिगत लेनदेन के लिए कार्यवाही की है ।

22. यह कहना सहीं है कि, मैंने अपने परिचित व्यक्तियों के लिए फायनेंस ब्रोकर के तौर पर कार्य किया है । मैं विगत 20–25 वर्षों से फायनेंस ब्रोकर का कार्य कर रहा हूं । फायनेंस ब्रोकर का काम करने पर मुझे उधार लेने वाले से कमीशन मिलती है, कितनी मिलती है मैं नहीं बताना चाहता । मैंने आरोपी से भी कमीशन ली है, स्वतः कहा कि, कुछ मामलों में ली है और कुछ मामलों में नही ली है । यह कहना सहीं है कि, मैंने इस प्रकरण में अपनी कोई भी आयकर विवरणी पेश नहीं की है

। यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–8 और 9 के दस्तावेज आयकर विभाग में जमा नहीं किये गये हैं । यह कहना सहीं है कि, प्रदर्श पी–8 और 9 के दस्तावेज जिन दस्तावेजों के आधार पर बनाये गये हैं वे दस्तावेज इस प्रकरण में पेश नहीं है, स्वतः कहा कि, ऐसे दस्तावेज मेरे सीए के पास होंगे । यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–8 व 9 के दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित हैं । यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–8 एवं 9 के दस्तावेजों को ललित कुमार जैन सीए द्वारा नहीं बनाया गया है । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–08 एवं 09 में ललित कुमार जैन सीए के हस्ताक्षर कूटरचित व फर्जी बनाये गये हैं । यह कहना गलत है कि, मैंने जानबूझकर अपनी आयकर विवरणी प्रकरण में पेश नहीं किया है । यह कहना गलत है कि, मेरी आयकर विवरणी और प्रदर्श पी–8 व 9 में कोई समानता व सुसंगतता नहीं है, इसलिए आयकर विवरणी पेश नही की गई है । यह कहना गलत है कि, मेरी आयकर विवरणी अभियुक्त के साथ किये गये कथित लेन–देन को मेरे द्वारा नहीं दर्शाया गया है । यह कहना गलत है कि, इसलिये मैंने अपनी आयकर विवरणी पेश नहीं की है ।

23. यह कहना सहीं है कि, मेरे द्वारा साहूकारी लायसेंस लिया गया है, स्वतः कहा कि, मई 2024 में लायसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, जो कि 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी था । इसके पूर्व मेरे द्वारा साहूकारी लायसेंस कभी नहीं लिया गया । यह कहना गलत है कि, मैंने प्रदर्श पी–1 का चेक झूठ बोलकर व गुमराह करके अभियुक्त से लिया था । यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–1 चेक की राशि 1 लाख रूपये के लिए अभियुक्त का कोई दायित्व नहीं है । यह कहना सहीं है कि, मुझे इस बात की जानकारी है कि, 20 हजार रूपये से अधिक लेन देन आयकर अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधित है, स्वतः कहा कि, 20 हजार रूपये लेन देन केवल वस्तु खरीदी बिक्री के लिए प्रतिबंधित है, उधार लेन देन के लिए प्रतिबंधित नहीं है । मुझे उक्त बात मेरे सीए ललित कुमार जैन ने बतायी है ।

24. यह कहना गलत है कि, मैंने प्रदर्श पी–1 के चेक का दुरूपयोग करके कूटरचना की है । यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–1 का चेक मुझे अभियुक्त ने किसी विधिक उत्तरदायित्व के भुगतान हेतु नहीं दिया है । यह कहना गलत है कि, मैंने न्यायालय में झूठा परिवाद एवं शपथपत्र प्रकरण में पेश किया है । यह कहना गलत है कि, मैं अभियुक्त को ब्लैकमेल कर उससे बड़ी राशि ऐठना चाहता हूं । यह कहना गलत है कि, मैं इस प्रकरण में झूठी गवाही दिया हूं । यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–6 एवं 7 के लिफाफे पर किये गये इंद्राज गलत है, जो मैंने पोस्ट मैन से जान बूझकर

लिखवाये हैं । यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–2 दस्तावेज बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया है । यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–8 व 9 का दस्तावेज कूटरचित एवं फर्जी है, जिस पर सीए की मोहर व हस्ताक्षर भी फर्जी है । यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–1 के चेक पर ब से ब व स से स भाग पर मैंने इंद्राज किये या करवाये हैं । यह कहना गलत है कि, प्रदर्श पी–01 में उल्लेखित राशि मेरे पास उपलब्ध नहीं थी और न ही मैंने अभियुक्त को कभी उक्त राशि उधार प्रदान की थी ।

25. यह कहना सहीं है कि, आरोपी ने लगभग 4–5 वर्ष पूर्व मेरे विरूद्ध चेकों में कूटरचना करने व धोखाधड़ी करने की 3 से 4 शिकायतें पुलिस में की थी । यह कहना सहीं है कि, पुलिस द्वारा मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था जहां मैंने अपना बयान दर्ज कराया था । मैंने इस प्रकरण में दिये गये साक्ष्य और अन्य प्रकरण क्रमांक 3738/2018 में दिये गये साक्ष्य की समस्त बातें पुलिस को बता दी थी । आरोपी द्वारा पेश की गई शिकायतों को मैंने देख लिया था । स्वतः कहा कि, मैंने पुलिस को यह बता दिया था कि, आरोपी के विरूद्ध चेक अनादरण के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं इसलिए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी ।

26. यह कहना गलत है कि, मैने आरोपी को तंग व परेशान करने के लिए अपनी पत्नि, साली व साढू के नाम से आरोपी के चेकों में कूटरचना कर झूठे मामले पेश किये हैं । यह कहना गलत है कि, मैंने फायनेंस ब्रोकर के तौर पर आरोपी से प्रदर्श पी–1 का चेक व अन्य चेक समय समय पर लिये थे । यह कहना सहीं है कि, आरोपी के साथ ब्याज की रकम को लेकर विवाद हुआ था । अब गवाह कहता है कि, नहीं हुआ था । मैंने जिन परिचित व्यक्तियों के लिए फायनेंस ब्रोकर के तौर पर आरोपी को रकम दिलवाई थी उस रकम का ब्याज आरोपी मेंरे माध्यम से उन परिचित व्यक्तियों को देता था । यह कहना गलत है कि, ब्याज की रकम के बारे में मैंने आरोपी के साथ धोखाधड़ी कर गड़बड़ की थी, जिस पर आरोपी के साथ मेरा विवाद हुआ था । यह कहना गलत है कि, इस विवाद के कारण मैंने प्रदर्श पी–1 के चेक में अपना नाम व तारीख लिखकर कूटरचना करते हुए आरोपी को झूठे मामले में फंसाया है । यह कहना गलत है कि, उन परिचित व्यक्तियों को भी ब्याज की रकम में की गई गड़बड़ी व धोखाधड़ी की जानकारी है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा आरोपी को ब्लेकमेल कर लाखों रूपये वसूल करने के लिए अपनी पत्नि, साली व साढू के साथ आपराधिक षड़यंत्र करते हुए आरोपी के विरूद्ध अनेक चेक अनादरण के मामले बनाये गये हैं । यह कहना गलत है कि, मैंने आरोपी को कई बार धमकाया चमकाया है और अपने प्रकार से पताड़ित

किया है । यह कहना गलत है कि, मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं । यह कहना गलत है कि, मेरे परिवाद और शपथपत्रीय साक्ष्य में मेरे द्वारा झूठे एवं मनगढंत तथ्य लिखे गये हैं ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त ।

समयः 05.10 पी.एम. बजे तक

साक्षी को पढ कर सुनाया, समझाया गया सहीं होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही/–

(श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

सही/–

(श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर.....